ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 420-422

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

वैवाहिक हिंसा में धन की भूमिका

सुर्यकान्ति कुमारी
असिस्टेन्ट प्रोफेसर– गृह विज्ञान विभाग, के0 पी0 एस0 कॉलेज, नदवाँ–पटना (बिहार), भारत

Received- 26.06.2020, Revised- 29.06.2020, Accepted - 10.07.2020 E-mail: - dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : ***हिन्दु–विवाह एक अस्थायी बन्धन अथवा कानूनी समझौता नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक संस्कार है। यही कारण है कि पश्चिमी विद्वानों ने विवाह की जो परिभाषाएँ दी हैं, उनके आधार पर हिन्दु–विवाह की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझा जा सकता है। हिन्दु मान्यताओं के अनुसार विवाह एक ऐसा पवित्र और जन्म–जन्मान्तर का बन्धन है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के लिए चार प्रमुख कर्तव्यों को पूरा करना आवश्यक माना गया है। इन्हें हम कमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि केवल विवाह के द्वारा ही व्यक्ति इन कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। इस प्रकार हिन्दु–विवाह वह संस्था है जो स्त्री तथा पुरूष को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके तथा इससे सम्बन्धित धार्मिक तथा पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करने का निर्देश देती है। इस दृष्टिकोण से हिन्दू–विवाह में यौन सम्बन्धों को कोई विशेष महत्त्व नहीं है। इसे अधिक–से–अधिक एक गौण उद्देश्य ही माना गया है। 'काम' अथवा 'रति' के रूप में इसका एकमात्र उद्देश्य 'पुत्र को जन्म देना' है जिससे परिवार में धार्मिक कार्यों की निरन्तरता को बनाये रखा जा सके। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हिन्दू–विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो स्त्री–पुरुष को एक इढ़ बन्धन में बाँधकर उन्हें धर्म अर्थ, काम और मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। हिन्दू–विवाह की प्रकृति को उसके उद्देश्य की विवेचना से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है।***

कुंजीभूत शब्द– हिन्दु–विवाह, अस्थायी बन्धन, कानूनी समझौता, धार्मिक संस्कार, विद्वानों, परिभाषाएँ, पारिवारिक।

हिन्दू–विवाह के उद्देश्य– हिन्दू–विवाह एक अनिवार्य धार्मिक कृत्य है। इसका कारण यह है कि विवाह के माध्यम से ही उन कर्तव्यों को पूरा किया जा सकता है जिनका हिन्दू जीवन में विवेष महत्त्व है। इस दृष्टिकोण से हिन्दू–विवाह के तीन प्रमुख तथा तीन सामान्य उद्देश्य हैं जिनका उल्लेख निम्नांकित रूप से किया जा सकता है :–

(1) धार्मिक कर्तव्यों की प्रति–हिन्दू समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य धार्मिक क्रियाओं को पूरा करना है। विवाह का यह उद्देश्य सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हिन्दू विश्वासों के अनुसार पत्नी के बिना व्यक्ति को किसी भी धार्मिक क्रियाओं को करने का फल नहीं मिलता। तैत्तरीय–ब्राह्मण में कहा गया है: 'अयज्ञियों एष वा योडपत्नीकः' अर्थात् बिना पत्नी के व्यक्ति को यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं हैं। यह भी कहा गया है कि एकांकी पुरूष अधूरा है, उसकी पत्नी ही उसका अर्द्धभाग है। 'धर्म' का तात्पर्य समाज में दूसरे व्यक्तियों के प्रति उन कर्तव्यों को पूरा करने से है जिन्हें 'यज्ञ' कहा जाता है। इस प्रकार विवाह का उद्देश्य देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ तथा जीव यज्ञ को पूरा करना है। इसके अतिरिक्त माता–पिता की मृत्यु के बाद उनके श्राद्ध की व्यवस्था करने और देवताओं के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए भी विवाह एक माध्यम है।

(2) पुत्र–जन्म–विवाह का दूसरा प्रमुख उद्देश्य कम से कम एक पुत्र को जन्म देना है। भारतीय संस्कृति में पुत्र का विशेष महत्त्व है क्योंकि वही अपने पूर्वजों को पिण्ड–दान दे सकता है और उसी के द्वारा वंश की निरन्तरता को बनाये रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जब तक एक पुत्र को जन्म नहीं देता तब तक पूरा करते समय यह कामना की जाती है कि 'हम दोनों मिलकर एक यशस्वी और दीर्घायु पुत्र को जन्म दें।' परम्परागत रूप से, यदि एक पत्नी से पुत्र का जन्म न हो सके तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दूसरी स्त्री से विवाह करने की अनुमति दी गयी थी।

(3) रति–रति का अर्थ समाज के नियमों के अनुसार यौन–सम्बन्धों की स्थपना करना और इस तरह मानसिक उद्वेगों को सन्तुष्ट करना है। हिन्दू–विवाह में रति का अभिप्राय 'वासना' अथवा 'व्यभिचार' से नहीं है बल्कि इसे एक पवित्र धार्मिक उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी कारण कुछ विशेष दशाओं में ही रति को पूरा करने की अनुमति दी गयी है। इसके पश्चात् भी यह विवाह का सबसे निम्न कोटि का उद्देश्य है और इसलिए इसकी गणना सबसे बाद में की जाती है।

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

धार्मिक रूप से हिन्दू–विवाह के उपर्युक्त तीन उद्देश्यों का ही उल्लेख किया जाता है, लेकिन कुछ सामान्य उद्देश्य भी हिन्दू–विवाह से अनिवार्य रूप से सम्बन्धित हैं।

(4) व्यक्ति के जीवन को संगठित रखना–हिन्दू–विवाह का उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक तथा मानसिक संघर्षों से बचाना और उसके जीवन को संगठित बनाये रखना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवाह संस्कार के समय अनेक अनुष्ठानों के द्वारा प्रतीकारात्मक रूप से पति–पत्नी को उन सभी परिस्थितियों का ज्ञान कराया जाता है जो भविष्य में उनके सामने आ सकती है।। इससे व्यक्ति समाज में अपनी बदलती हुई भूमिका को समझ जाता है। फलस्वरूप उनका व्यक्तित्व विघटित नहीं हो पाता।

(5) पारस्परिक त्याग में वृद्धि कराना–हिन्दू–विवाह का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य परिवार में एक–दूसरे के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करना तथा नैतिक जीवन का विकास करना है। इसी कारण विवाह को ऐसा रूप दिया जाता है जिससे व्यक्ति इसे एक आध्यात्मिक बन्धन के रूप में स्वीकार करने लगता है। यह संस्था समाज में सभी के प्रति व्यक्ति के कर्तव्यों को स्पष्ट करती है।

(6) सामाजिक कर्तव्यों को बोध कराना–हिन्दू–विवाह व्यक्तियों को उनके विभिन्न सामाजिक और पारस्परिक कर्तव्यों का बोध कराता है। हिन्दू–जीवन में साधारणतया विवाह से पहले व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान नहीं किये जाते। विवाह से पहले व्यक्ति का जीवन एक तरह से व्यक्तिवादी तथा निर्भरता का होता है। विवाह के द्वारा उसे पत्नी, सन्तानों, माता–पिता, अतिथियों तथा नातेदारों के प्रति अपनी सेवाएँ देने की शिक्षा दी जाती है। साथ ही परिवार की सम्पत्ति का संरक्षण तथा सांस्कृतिक दायित्वों का बोध कराना भी इसी संस्था के माध्यम से सम्भव होता है।

वास्तविकता यह है कि हिन्दू–विवाह के ये उद्देश्य इतने उपयोगी प्रमाणित हुए हैं कि जो व्यक्ति भारतीय व्यवस्थाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे भी विवाह संस्था के इस परम्परागत रूप में कोई परिवर्तन करने के पक्ष में नही हैं। हिन्दू–विवाह से सम्बन्धित कुछ नियम अवश्य रूढ़िगत हो गये हैं लेकिन स्वयं इस संस्था की प्रकृति और उद्देश्य में कोई दोष नहीं है।

पति–पत्नी में तनावों के प्रमुख कारणों में धन की कमी और धन की अधिकता का बराबर महत्त्व है। धन को यदि तनावों की धुरी कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। पंजाबी में एक कहावत है, जिनके घर दाने, उनके कमले भी सयाने। कहने का आशय यह है कि जो धनी है, वे भले ही पागल हों, लेकिन उनका पागलपन भी धन का प्रभाव में छिप जाता है, लेकिन जहां तक दांपत्य संबंधों का प्रश्न है, इन पर धन का प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ता। यद्यपि भौतिकवादी संसार में धन के प्रभाव ने जीवन मुल्यों को भी प्रभावित किया है और मनुष्य को अंधा बना दिया है, जो रात–दिन निन्यानवे के चक्कर में ही पड़ा रहता है और उचित–अनुचित सभी साधनों से पैसा कमाना चाहता है। ऐसे लोग भी सुखों का साधन धन को मानते हैं।

यह एक वास्तविकता है कि धन सभी सुखों का साधन कभी नहीं रहा है। इस संदर्भ में तसलीमा नसरीन ने मुनमुन सरकार से अंतरंग बातचीत में यह पुछने पर कि आपके मन में सुख की अवधारणा क्या है? बताया, किस चीज को आप सुख के रूप में देखती हैं? उनका कथन था कि सुख एक सापेक्षिक स्थिति है, रिलेटिव मामला अब वैसा नहीं होता है। किसी को गाड़ी वग़ैरह मिल जाने पर सुख मिलता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मुझे एक अच्छी किताब से भी सुख की अनुभूति होती है। दरअसल जीवन के विभिन्न चरण बदलते रहते हैं। कभी मैं शरत्चन्द्र की कोई पुस्तक पाकर बहुत खुश होती थी, लेकिन अब शायद मिले, तो उसे किनारे रख दूं। यानी अब मेरे लिए वह सुखकर नहीं है। समय के साथ–साथ सुख भी बदल रहे हैं।

इस प्रकार से यदि युवा पति–पत्नी सोचें कि धन ही सबसे बड़ा सुख है, तो यह धारणा उनके लिए नितांत गलत, भ्रामक और झूठी है। हर चीज की अधिकता तनाव का कारण है। पति–पित्नी के संबंधों में भी यही बात चरितार्थ होती है। इस प्रकार सुख के मापदंड भी अलग–अलग होते हैं, जो धन, यश की प्राप्ति के साथ–साथ बदलते रहते हैं। इसलिए पति पत्नी दोनों की वास्तविक स्थिति में खुश रहें, यही उनके लिए सार्थक व्यवहार है।

कुछ पति–पत्नी इन भौतिक सुखों की खातिर अपने संबंधों की परवाह नहीं करते, वे ज्यादा पदेशान रहते हैं। उनके द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से कम दक्ष होने के कारण धन कमाना कठिन हो गया है। वे धन के अभाव में ऐसी स्थिति में गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं। यहां का रहना–सहन देखकर लगता है कि ऐसे स्थान रहने के योग्य नहीं हैं, परंतु झुग्गी–झोंपड़ी में रहने वाले पति–पत्नी, अन्य दंपतियों की तरह सुख से नहीं रहते? एक तरफ तो धन की अधिकता के कारण धनी परिवार और उनमें रह रहे पति–पत्नी तनावग्रस्त हैं, तो दूसरी ओर झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले पति–पत्नी सुख की नींद सो कर खुश हैं। मतलब यह है कि पति–पत्नी के संबंधों में और उनकी खुशहाली में धन की कमी उतनी

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

बाधक नही है। अनेक प्रकार की सुख–सुविधाओं के अभावों के रहते हुए भी पति–पत्नी एक–दूसरे की अपेक्षाओं के अनुकूल सोकर उठते हैं, तो वे पूर्णरूप से संतुष्ट, प्रसन्न और एक–दूसरे की कल्पनाओं को साकार करते दिखाई देते हैं।

धन का एक ऐसा कुचक्र है, जो समाज में अनेक बुराइयों को पैदा करता है, लेकिन वास्तव में ये बुराइयों भी समाज में हमेशा विद्यमान रहती हैं। जब पति–पत्नी धन के कारण उपजने वाले तनावों को लेकर अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, तो जहां भौतिकवाद सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, वहीं उन्हें मानसिक रूप से एक सीमा तक संतुष्टि भी देता है, लेकिन तनाव पति–पत्नी की सबसे बड़ी समस्या है। 'इंडिया मोस्ट वांटेड' धारावाहिक के निर्माता शुएब इलियासी की पत्नी अंजू इलियासी की हत्या या आत्महत्या, इस बात का प्रमाण है कि पति–पत्नी में धन की अधिकता तनाव का एक ऐसा कारण था, जिसके परिणाम बड़े गंभीर निकले।

धन के लालच में अनेक लड़कियों को जला दिया जाता है। भौतिकवाद ने पति–पत्नी के सुख तो छीने ही हैं, साथ ही बच्चों से उनके संरक्षक भी छीने हैं। धन की अधिकता के कारण पति–पत्नी की सोच में जो अंतर आ रहे हैं, वे उन्हें पतन के इतने गहरे गड्ढे में डाल रहे हैं, जहां से न केवल निकलना कठिन होता जा रहा है, बल्कि निकलकर भी उन्हें तनावों के सिवाय कुछ नहीं मिलता।

अमेरिका के प्रसिद्ध पत्रकार और विश्व राजनीति के प्रभावों को देखने वाले विचारक डेविड एकमन का कथन है कि मनुष्य इसलिए दुःखी, संतृप्त और तनावग्रस्त है, क्योंकि मानव मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है, जबकि मानव मूल्यों के प्रति लगातार प्रतिबद्धता ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। उनका विचार है कि उच्च चरित्र और योग्यता दो भिन्न–भिन्न विचार हैं। मानव मूल्यों की उच्चता को पा लेना ही प्रखर व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व की इस प्रकार की महानता ही पति–पत्नी में तनावों को कम करती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डा० अरूण कुमार बापनाः पति–पत्नी में तनावः कारण एवं निवारण, पुस्तक महल दिल्ली, 2002
2. रोमी सूद उपभाश्रीः क्रोध एवं अहंकार, पुस्तक महल, दिल्ली।
3. हरेन्द्र हर्षः निराशा छोड़ो सुख से जिओं, पुस्तक महल, दिल्ली
4. डा० रेणु त्रिपाठीः महिला सशक्तिकरणः वायदे एवं हकीकत, रोहित पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
5. जी० के० अग्रवालः भारतीय सामाजिक संस्थाएं, आगरा बुक स्टोर, आगरा

*****